



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230875
CG-DL-E-01112021-230875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4196]
No. 4196]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4557(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में NH-383 के कि.मी. 0 से कि.मी. 14 (क्लेक्ट्रेट कार्यालय, पुदुक्कोट्टई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26.02.2021" को "दिनांकन" और "हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में NH-383 के कि.मी. 0 से कि.मी.14 (कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुदुक्कोट्टई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: शिवगंगा					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिरुपत्तूर				
	गांव का नाम: कुन्नाक्कुडी				
1	167/2C	निजी	ड्राई	0.035	गांदीमाथि W/O षणमुगम - १, सेल्वम S/O षणमुगम - २, मूठलगू S/O षणमुगम - ३, सुरेश कुमार S/O षणमुगम - ४, वाटरसेल्वी D/O षणमुगम - ५ (167/2C1)
2	179/2A2	निजी	ड्राई	0.002	किशोरकुमार S/O सथाशिवम (179/2A2)
3	20/5A1B	निजी	ड्राई	0.0121	महालक्ष्मी W/O सोमन (20/5A1B)
	गांव का नाम: सिरुकुदालपट्टी				
4	458/9	निजी	ड्राई	0.004	कन्नू S/O चिन्नैआह (458/9)
5	518/20	निजी	वेट	0.0005	सोलाइयाँ S/O पेरियण कोनार (518/20)
	गांव का नाम: टेंकरे				
6	200/6B	निजी	ड्राई	0.0017	पलानीकुमार S/O मुरुगप्पें (200/6B)
			कुल	0.0553	

[फा. सं. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH383/PIU-Madurai/dt 28-03-2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4557(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-383 on the stretch of land from Km. 0 to Km. 14 (Collectorate office, Pudukottai) in the district of SIVAGANGA in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dinakaran*” and “*The Hindu*” both dated 26.02.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-383 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 14 (Collectorate office, Pudukottai) in the district of SIVAGANGA in the State of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: SIVAGANGA		
S. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tirupattur				
	Village: Kunnakkudi				
1	167/2C	Private	DRY	0.035	GANDIMATHI W / O SHANMUGAM - 1, SELVAM S / O SHANMUGAM - 2, MUTHALAGU S / O SHANMUGAM - 3, SURESH KUMAR S / O SHANMUGAM - 4, VATRISELVI D / O SHANMUGAM - 5 167/2C1
2	179/2A2	Private	DRY	0.002	KISHOREKUMAR S / O SATHASIVAM 179/2A2
3	20/5A1B	Private	DRY	0.0121	MAHALAKSHMI W / O SOMAN 20/5A1B
	Village: Sirukudalpatti				
4	458/9	Private	DRY	0.004	KANNU S / O CHINNAIAH 458/9
5	518/20	Private	WET	0.0005	SOLAIYAN S / O PERIYANAN KONAR 518/20

	Village: Tenkarai				
6	200/6B	Private	DRY	0.0017	PALANIKUMAR S / O MURUGAPPAN 200/6B
			TOTAL	0.0553	

[F. No. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH383/PIU-Madurai/dt 28-03-2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director